यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (औ0सं0), यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून दूरभाष-0135-2530030 फैक्स 0135-2531646

Dy. General Manager (Industrial Relation), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun Ph-0135-2530030 Fax No.0135-2531646

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001,14001 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापनसंख्या 236/यूजेवीएनएल/05/निदेशक मा०सं० /उमप्र(औ०सं०)/एम–1 दिनांक 16.09.2019के अनुक्रम में **डा० अभिनव थापर, थापरस्पेशियलिटी डेन्टल क्लीनिक, निकट आई०एम०ए० ब्लड बैंक, 41/1 बल्लुपुर रोड़,देहरादून** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतयाआश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशनलि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड मेंआमेलित हैं एवं सेवारत/सेवानिवृत्तकार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालयमें नियमानुसार बाहय रोगी की हैसियत से कराये जाने जाने वाले **दंत उपचार** पर हुए चिकित्सा व्यय कीप्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 31.12.2023 तक** के लिये मान्यताविस्तारित की जाती हैं।

1. उक्त चिकित्सालय संलग्न दर सूची सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (CentralGovernment Health Scheme) (Non-NABH & Non-NAB Rates) में दर्शाई गई दरों पर सम्बन्धितकर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देयनहीं होगा।

3. चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओ केअनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :–

   a मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वाराचिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।

   b किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशिलेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।

   c दरसूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।

   d अस्पतालको पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।

   e अस्पतालके विरूद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायते आने परअथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेजाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नानज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानीहोगी। **(प्रारूप संलग्न)**

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेश शर्ते यथावतरहेगी ।

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. निजी सचिव,अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव,प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक(परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०सं०),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासीनिदेशक (जानपद)/(वि०/या०)/(ओ०एण्डएम०)/(वित्त)/(मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।
5. समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड **को इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेशित करने का कश्ट करें।**
6. उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएनलिमिटेड देहरादून को **निगम की वैबसाइट पर"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्शक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।**
8. कम्पनी सचिव, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।
9. उप मुख्य लेखाधिकारी,सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
10. वरिश्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।
11. चिकित्साधिकारी, मुख्यालययमुना भवन, देहरादून।
12. डा० अभिनव थापर, एम०डी०एस०, थापरस्पेशियलिटी डेन्टल क्लीनिक, निकट आई०एम०ए० ब्लड बैंक, 41/1 बल्लुपुर रोड़,देहरादून।

13. अध्यक्ष / महामंत्रीसमस्त यूनियन / एसोसिएशन।

(बबीता कोहली)
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)